न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 07 / 2016 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2016 / 00013

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. भैराराम पुत्र भट्टाराम जाति मीणा निवासी गुड़ा दुर्जन, ग्राम पंचायत सांसरी, पं. सं. देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली।		1. मदनसिंह पुत्र स्वरूपसिंह जाति राजपूत, निवासी गुड़ा दुर्जन, पंचायत सांसरी , पंस. देसूरी तहसील देसूरी, जिला पाली 2. सरपंच, ग्राम पंचायत सांसरी पं. सं. देसूरी तहसील देसूरी, जिला पाली।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :– प्रार्थी की ओर से पोकर लाल परिहार उपस्थित
अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 22/2/21

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.12.1997 मिसल संख्या 98 में पारित आदेश दिनांक 06.07.1997 पट्टा संख्या 1324 / 28.06.1998 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस एवं ग्राम पंचायत सांसरी के जैर निगरानी पट्टा समबन्धी रेकर्ड तलब किया जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम गुड़ा दुर्जन में मीणा समाज के मोहल्ले में प्रार्थी का एक पुश्तैनी कब्जा सुदा भूखण्ड है जिस पर प्रार्थी 50 वर्षों से काबिज है। उसमें प्रार्थी के रहवासीय मकान का दरवाजा लगा हुआ है। तथा प्रार्थी के आने जाने का रास्ता भी है। अप्रार्थी का मकान राजपूतों के रवले में आया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 ने 2 से मिलावट कर अपने पक्ष में जैर निगरानी पट्टा दिनांक 28.06.1998 प्राप्त कर लिया जो निरस्त योग्य हैं। ग्राम पंचायत ने पट्टे में तथाकथित मिसल संख्या 98 दायरा दिनांक 06.06.1997 अंकित किया है जबकि पंचायत द्वारा मिसल बनाई ही नहीं गई थी अर्थात अप्रार्थी द्वारा पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन ही नहीं किया गया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1994 में वर्णित किसी भी नियम की पालना नहीं की गई है। ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत सांसरी ने अपने पत्रांक 74 दिनांक 15.02.2016 के पत्र प्रेषित किया उसमें भी अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी पट्टा सम्बन्धी पट्टा बुक व मिसल आदि रिकॉर्ड चार्ज में ही नहीं दिया गया है इसमें अंकित प्रस्ताव व प्रस्ताव रजिस्टर कें अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें अप्रार्थी मदनसिंह के पक्ष में पट्टा जारी करने बाबत प्रस्ताव नहीं लिया गया है। अर्थात प्रस्ताव का अभाव है। जिससे रेकर्ड नहीं होना स्पष्ट है। मात्र बैठक कार्यवाही रजिस्टर ही भिजवाया है उसमें भी प्रस्ताव नहीं लिया गया है। पट्टे में उपरोक्त सभी तथ्यों के मध्यनजर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विधि विरूद्ध जारी किया जाने से निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट है कि पट्टे पर सिमल नम्बर दायरा दिनांक प्रस्ताव संख्या व दिनांक आदि अंकित है इससे स्पष्ट है कि मिसल कायम की गई थी एवं प्रस्ताव लिया जाकर पट्टा जारी किया गया था। पंचायत में रेकर्ड न [illegible] के लिए अप्रार्थी उत्तरदायी नहीं है वकील प्रार्थी द्वारा अपूर्ण [illegible] प्रस्ताव संख्या दिनांक मिसल संख्या आदि अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति [illegible] प्रस्तुत निगरानी नि[illegible]माई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:50:39 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई पत्रावली एवं ग्र[illegible] पंचायत से प्राप्त रेकर्ड [illegible]वलोकन किया गया पंचायत से मिसल प्राप्त नही होने से पट्टा प्रक्रिया सम्बन्धी विवेचन नहीं किया जा सकता है लेकिन ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर मूल ही प्राप्त हुआ उसमें

क्रमश....................2

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

दिनांक 20.12.1997 के लिए गए प्रस्ताव संख्या 5 के साथ ही अन्य प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। उक्त प्रस्ताव में अप्रार्थी संख्या 1 मदनसिंह पुत्र स्वरूपसिंह जाति राजपूत के हक में कही पट्टे जारी किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है अर्थात पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने सम्बन्धी प्रस्ताव ही नहीं लिया गया जबकि बिना प्रस्ताव के जारी पट्टा ab initio void दस्तावेज है। तथा ab initio void पट्टे के यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है वं ग्राम पंचायत सांसरी द्वारा तथाकथित प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 20.12.1997 एवं मिसल संख्या 98 में पारित आदेश की पालना में जारी पट्टा संख्या 1324 दिनांक 28.06.1998 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/2/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:30:39 IST
Reason: SelfAttested